

फर्द अहकाम
(नियम 20)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर जिला हनुमानगढ

अनवान:-

बलकरण

बनाम

जगजीत सिंह आदि

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या. 7.../2020

| तारीख हुकम | कार्यवाही विवरण |
|------------|--|
| 04.09.2020 | <p>प्रार्थना पत्र प्रार्थी जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 08.09.2020 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">(नारायण सिंह चारण) अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर</p> |
| 08.09.2020 | <p>पत्रावली आज पेश हुई। बहस अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 09.09.2020 को पेश हों।</p> |
| 09.09.2020 | <p>पत्रावली पेश हुई। बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया की दिनांक 31.08.2020 को इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 102/2015 में निर्णय द्वारा अपील स्वीकार की गई थी। अतः उक्त निर्णय की पालना 15 दिन तक स्थगित की जावें तब तक राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावें इससे वाद विवाद बढ़ेगा। तथा अप्रार्थीगण को अपील करने का समय मिल सके। अगर उक्त निर्णय की पालना होती है तो अप्रार्थीगण को अपूर्ण क्षति होती है।</p> <p>अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की निर्णय हुए 9 दिन हो गये है। आज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। इतने दिन विवाद नहीं था क्या। अब तक अपील क्यों पेश नहीं की तथा प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी पेश नहीं किया और न ही कोई दस्तावेज पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थी ने पुनः बहस में निवेदन किया की हमने प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2020 को पेश कर दिया था।</p> <p>हमने बहस पर मनन किया व मूल पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.08.2020 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.02.2014 अपास्त किया गया है। इन तथ्यों को दृष्टिगत इस प्रकरण में एक बार अंतिम निर्णय करने के उपरान्त स्थगन जारी करना उचित प्रतित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 09.09.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ़तर हों।</p> <p style="text-align: right;">09/09/2020</p> |